



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021

आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3

संख्या 1706/52-3-2021-2 (170)-98

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2021

शुद्धि-पत्र

प०आ०-329

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में अध्यक्ष/सदस्यों को नामित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या सी०एम०-51/52-3-2021-2-(170)/98, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 के प्रस्तर 1 में अंकित तालिका के क्र०सं०-1 पर अंकित डॉ० इफितखार अहमद जावेद पुत्र श्री हमीरउल्लाह अंसारी, वाराणसी के स्थान पर डॉ० इफितखार अहमद जावेद पुत्र श्री अमीरुल्लाह अंसारी, व पृष्ठांकन के क्र०सं०-9 पर अंकित श्री डॉ० इफितखार अहमद जावेद पुत्र श्री हमीरउल्लाह अंसारी, एन-13/120, सराय सुरजन, बजरडीहा, वाराणसी के स्थान पर डॉ० इफितखार अहमद जावेद पुत्र श्री अमीरुल्लाह अंसारी, एन-13/120 आई-क, सराय सुरजन, बजरडीहा, वाराणसी पढ़ा जाय।

2-अधिसूचना संख्या सी०एम०-51/52-3-2021-2-(170)/98, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष विवरण यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 345 राजपत्र-2021-(752)-599 प्रतियां-(क०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० अल्पसंख्यक कल्याण-2021-(753)-300 प्रतियां-(क०/आ०)।